राजस्थान सरकार
आयुक्त कॉलेज शिक्षा
जयपुर

क्रमांक : F7(5)अका/आकाशि/धूम्रपान/2016/1234 दिनांक : 28.1.19

समस्त प्राचार्य
राजकीय एवं निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : राज्य में "नशा मुक्ति अभियान" व "एनिमिया मुक्त राजस्थान" कार्यक्रम की क्रियान्विति करने के सम्बंध में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.01.2019 को सर्वोदय दिवस पर वृहद "नशामुक्ति अभियान" एवं "एनिमिया मुक्त राजस्थान" कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा रहा है। राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को तम्बाकू एवं नशा मुक्त संस्थान के रूप में विकसित करने व एनिमिया मुक्ति हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है :–

- राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त एवं नशामुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये।
- नियमानुसार "टोबेको फ्री जोन" के बोर्ड प्रदर्शित किये जाये।
- इन संस्थाओं के 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थो के प्रतिबंध की पालना करवायी जाये।
- राज्य की समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्र–छात्राओं की सेन्सिटाइजेशन कार्यशालायें आयोजित की जाये, जिनमें छात्र–छात्राओं को तम्बाकू मुक्ति एवं नशामुक्ति के लिये सेन्सिटाइज किया जाये।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम में व जिले के सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में दिनांक 30.01.2019 को प्रातः 11 बजे इस "नशामुक्ति अभियान" से अवगत करायें व "जीवन के लिये प्रतिज्ञा" नशा मुक्ति की शपथ दिलवायें **(संलग्न–शपथ का प्रारूप)**।
- जिला स्तरीय कार्यक्रम में दिनांक 30.01.2019 को "एनिमिया मुक्त राजस्थान अभियान" के बारे में चर्चा कर आमजन को जानकारी दी जाये व सांकेतिक रूप से कुछ लाभार्थियों को दवा दिलवायें।
- एनिमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम व साप्ताहिक IFA tablet की जानकारी सभी महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं को दिलवाई जाये।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा
राजस्थान सरकार

✓ वेबसाइट प्रभारी को अपलोड हेतु

”जीवन के लिये प्रतिज्ञा“

(Pledge for Life)

मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप मे शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं जीवन मे कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थो का सेवन नही करूंगा/करूंगी। मैं अपने परिजनो, मित्रों एवं परिचितो को भी तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थो को सेवन नही करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी।